

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0...165/20... ता0रजु... 6-1-20... किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक... 07-02-2020

सरकार

बनाम

लखवो पूज रामसिंह

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का खैरली गडासिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है।

कि ग्राम खैरली गडासिया के खसरा नम्बर 2467 रकवा 0-85 हैक्ट.

किस्म भूमि खसरा पर सम्बत 2076 में श्री लखवो पूज रामसिंह, जाति-जाट

नि. खैरली गडासिया तह0 बयाना ने 0-24 हैक्ट अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 2467

रकवा 0-24 हैक्ट. वाके ग्राम खैरली गडासिया से बेदखल

किया जाता है। लगान 3-84 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 192 रुपये से दण्डित किया

जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल को

कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी

हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 07-02-2020

को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली का वाच सामग्री  
दिनांक 24/2/20  
194  
वद्वारा

तहसीलदार  
नायब तहसीलदार  
बयाना (भरतपुर)